झारखण्ड सरकार

# विधि विभाग

# झारखण्ड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक, 2024

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

# झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक, 2024

विषय सूची


1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ
2. परिभाषाएँ
3. खनिज धारित भूमि उपकर की वसूली और संग्रहण
4. इस अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्यम्
5. उपकर का निर्धारण और भुगतान
6. अपील
7. पुनरीक्षण
8. भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाने वाला शुल्क
9. छूट
10. अनुसूची में संशोधन करने की शक्तियाँ
11. नियम बनाने की शक्ति
12. अन्य कानूनों के तहत धारक की देनदारी प्रभावित नहीं
13. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई
14. न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्जन
15. कठिनाइयों को दूर करने/निर्देश जारी करने की शक्ति

# झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक, 2024

झारखण्ड राज्य के अंतर्गत झारखण्ड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम, 2024 के प्रयोज्यता एवं प्रवर्तन के बाबत अधिनियम हेतु विधेयक।

खनिज धारित भूमि पर उपकर लगाने हेतु एक अधिनियम जिससे झारखण्ड राज्य में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा सेवाएँ, कृषि, ग्रामीण आधारभूत संरचना, पेयजल एवं स्वच्छता तथा अन्य आवश्यक उद्धेश्यों की पूर्ति हो सके।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नरूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–

(1) यह अधिनियम झारखण्ड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम, 2024 (Jharkhand Mineral Bearing Land Cess Act, 2024) कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।

2. परिभाषाएँ:– इस अधिनियम में, जबतक संदर्भ इसका कोई अन्य अर्थ न रखे :–

(1) "खनिज धारित भूमि (जिसमें कोयला धारित भूमि भी शामिल है) का वार्षिक मूल्य", से अर्थ है, प्रेषित खनिज का मूल्य (जिसमें कोयला भी शामिल है), जैसा कि अनुसूची में निर्दिष्ट है।

(2) "प्राधिकार" का अर्थ है प्राधिकार, जो इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निर्धारित किये गये है

(3) "उपकर" का अर्थ है इस अधिनियम की धारा 3 के तहत लगाया गया उपकर, जो धारा-4 में प्रावधानित किए गए उद्देश्यों के लिए है;

(4) "प्रेषण" का अर्थ है ऐसे रन-ऑफ-माइन/खनिज का धारक द्वारा किसी स्थान पर खनिज धारित भूमि से बाहर प्रेषण, जैसा कि इस अधिनियम की संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट है;

(5) "कोष" का अर्थ है, एक कोष जो उपकर की आय जमा करने के उद्देश्यों के लिए बनाया गया है, ताकि इस अधिनियम की धारा 4 में निर्दिष्ट उद्देश्यों को पूरा किया जा सके; और इसे निर्धारित तरीके से उपयोग किया जाएगा;

(6) "सरकार" का अर्थ है झारखंड राज्य सरकार;

(7) "शासी निकाय" का अर्थ है ऐसे प्राधिकारों का एक निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गठित किया गया है एवं जैसा विहित किया गया है;

(8) "धारक" का अर्थ है खनिज धारित भूमि का खनन पट्टा या खुली खान पट्टा या अन्वेषण अनुज्ञप्ति या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति धारक;

(9) "खनिज धारित भूमि (जिसमें कोयला धारित भूमि भी शामिल है)" का अर्थ है भूमि या भूमिओं का धारण जिसमें वह भूमि शामिल है, जिसपर खनिज और खनिज (नियमन और विकास) अधिनियम, 1957, कोयला धारण क्षेत्रों (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957, कोकिंग कोयला खदानों

खदानों (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972, कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973, कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के तहत खनन पट्टा या खुली खान अनुमति पत्र या अन्वेषण अनुज्ञप्ति या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या पेट्रोलियम खनन पट्टा खनिजों संबंधी अधिकार के लिए आवंटित या स्वीकृत हो या स्वतः स्वीकृत माना गया हो ;

(10) "खनिज उत्पाद" का अर्थ है, इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट खनिज का उत्पाद;

(11) "खनिज अधिकार" का अर्थ है खनन और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 कोयला धारित क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957, कोकिंग कोल माइंस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973, कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के तहत खनन पट्टे या खदान पट्टे या खोज पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या पेट्रोलियम खनन पट्टे के तहत पट्टेदार या डीम्ड पट्टेदार को प्रदत्त या नवीनीकृत अधिकार ;

(12) "अधिसूचना" का अर्थ राज्य की शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;

(13) "विहित" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(14) "धारा" का अर्थ इस अधिनियम के तहत धारा/धाराएँ है;

(15) "राज्य" का अर्थ है झारखंड राज्य;

(16) "अनुसूची" का अर्थ है कि इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची; तथा

इस अधिनियम में शब्द और भाव जो प्रयुक्त हैं लेकिन परिभाषित नहीं हैं, उनका अर्थ वही होगा जो संबंधित खनिज अधिनियम और सभी संबंधित नियमों में परिभाषित है।

3. खनिज धारित भूमि उपकर की वसूली और संग्रहण-

(1) खनिज धारित भूमि उपकर, खनिज धारित भूमि के वार्षिक मूल्य पर लगाई जाएगी (जिसमें कोयला धारित भूमि भी शामिल है) एवं इसका संग्रहण धारा–5 के अनुसार किया जाएगा।

(2) उपकर की आय को राज्य के संचित निधि कोष में जमा किया जाएगा और इसे झारखंड सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित क्षेत्रों के लिए उपयोग किया जाएगा।

(3) "निधि " के प्रबंधन के तरीके और प्रक्रियाएँ सरकार द्वारा निर्धारित या निर्दिष्ट की जाएंगी।

(4) उपधारा (1) के तहत लगाया गया उपकर झारखंड राज्य सरकार के खनन और भूगर्भ विज्ञान विभाग द्वारा एकत्र किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया गया है।

4. इस अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्यम् –

इस प्रकार संग्रहित कोष की आय को राज्य के संचित निधि में जमा किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा:-

(1) स्वास्थ्य सेवा, विद्यालय और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए।

(2) सामाजिक सुरक्षा सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए।

(3) ग्रामीण आधारभूत संरचना के निर्माण और संवर्धन के लिए - सड़कें, ग्रामीण आवास, पीने का पानी, स्वच्छता, बिजली आदि।

(4) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए, जिसमें किसानों का कल्याण शामिल हो।

(5) अन्य आवश्यक उद्देश्यों के लिए, जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

5. उपकर का निर्धारण और भुगतान-

(1) इस अधिनियम के तहत देय उपकर का निर्धारण धारा 3 के विनियमों और इसके तहत निर्मित नियमों के अनुसार, विहित प्राधिकार द्वारा किया जाएगा।

(2) खनिज धारण करने वाले भूमि पर उपकर की राशि ऐसे दर (दरों) पर, जो निर्दिष्ट की जा सकती है, धारक द्वारा ऐसे रन–ऑफ–माईन/खनिज की मात्रा पर देय होगी, जो ऐसे रन–ऑफ–माईन के प्रेषण के समय बनाई गयी थी।

"(3) यदि धारक बिना किसी शुल्क के रन-ऑफ-माइन/खनिजों को भेजता है, या जैसा भी मामला हो, शुल्क की देनदारी के आकलन में किसी भी परिवर्तन के लिए, अधिसूचित प्राधिकारी धारक को शुल्क की देनदारी के भुगतान के लिए नोटिस जारी करेगा, जिसमें देय शुल्क के ऐसे मूल्य पर प्रति माह या उसके किसी भाग पर 5% से अनधिक की दर से ब्याज के साथ, ऐसे तरीके से जो निर्धारित किया जा सकता है।

व्याख्या- इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, "देय शुल्क" का अर्थ होगा किसी भी शुल्क का जो धारा 3 के तहत देय है, लेकिन निर्धारित देय तिथि के बाद नहीं चुकाया गया है, और साथ ही नोटिस ऑफ डिमांड की समाप्ति के बाद, जैसा कि इस धारा के तहत जारी किया गया है।

(4) इस अधिनियम के तहत धारक के पंजीकरण के उद्देश्य के लिए; धारक का अर्थ खनिज अधिकार का धारक है अर्थात खनन या खुली खनन पट्टा या खनिज धारित भूमि के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या पूर्वेक्षण लाइसेंस, खान एवं खनिज (नियमन और विकास) अधिनियम, 1957, कोयला धारित क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957, कोकिंग कोल खानों (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972, कोयला खानों (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973, कोयला खानों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959; और पट्टेदार/मानित पट्टेदार/जो आवंटित हैं वे अपने संबंधित खनन कानूनों के तहत पहले से पंजीकृत हैं, इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रूप से लागू होंगे।

6. अपील: -

कोई भी व्यक्ति जो धारा 5 की उप धारा–4 के तहत नोटिस ऑफ डिमांड से प्रभावित है, वह उक्त नोटिस के तामिला की तिथि से साठ (60) दिन के भीतर, ऐसे प्राधिकृत प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है जैसा कि विहित किया जा सकता है और उक्त प्राधिकृत प्राधिकारी अपील पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझता है, और जो धारा 5 के प्रावधानों के अधीन अंतिम हो सकता है, अंतिम हो जाएगा।

7. पुनरीक्षण: -

सरकार, या तो स्व–प्रेरणा या किसी पीड़ित द्वारा धारा 6 के तहत पारित आदेश के विरूद्ध पीड़ित व्यक्ति द्वारा 90 दिनों के अन्दर पुनरीक्षण याचिका की प्राप्ति पर, किसी अधिकारी या प्राधिकरण जो इस अधिनियम

अधिनियम के तहत विहित किये गये हो, के द्वारा इस अधिनियम के तहत पारित किसी भी आदेश या कार्यवाही के रिकॉर्ड की मांग कर सकती है और उसकी जांच कर सकती है, ताकि वे उन आदेशों की शुद्धता या सुचिता के विषय में संतुष्ट हो सकें या ऐसे कार्यवाही की नियमितता के विषय में और यदि किसी मामले में सरकार को लगता है कि ऐसे आदेश या कार्यवाही को संशोधित, खत्म, पलटा या पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाना चाहिए, तो वे उसके अनुसार आदेश पारित कर सकते हैं: यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को अपनी प्रस्तुति देने का अवसर नहीं दिया गया हो।

8. भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाने वाला शुल्क-

इस अधिनियम के तहत धारा 5 के अनुसार देय और/या निर्धारित शुल्क, जो निर्दिष्ट और/या निर्धारित समय के भीतर नहीं चुकाया गया, उसे इस अधिनियम के तहत विहित किये गये प्राधिकार द्वारा भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूला जाएगा।

9. छूट:-

इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, जहां सरकार का विचार है कि यह जनहित में आवश्यक या उपयुक्त है, वह शासकीय राजपत्र में सूचना द्वारा, किसी धारक या किसी धारक की श्रेणी के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से शुल्क से छूट दे सकती है जैसा कि सूचना में निर्दिष्ट किया जा सके।

10. अनुसूची में संशोधन करने की शक्तियाँ-

1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची के किसी वस्तु या दर को जोड़ सकते है या हटा सकते है या संशोधित या परिवर्तित कर सकते है।

2) सरकार इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसे परिपत्र या निर्देश या विनियम जारी कर सकती है।

11. नियम बनाने की शक्ति: -

(1) सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्ति की सामान्यता के बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय के लिए प्रदान कर सकते हैं, अर्थात्-

i. प्राधिकृत प्राधिकारी जो धारा 3 के तहत शुल्क या धारा 5 के तहत ब्याज लगा सकते हैं और जिस तरीके से इस अधिनियम के तहत लगाया गया शुल्क वसूला जाएगा;

ii. शासी निकाय की संविधान और कार्य, इसके सदस्यों की अवधि और इसके व्यवसाय संचालन करने की प्रक्रिया;

iii. जिस तरीके से खनिज-bearing भूमि पर या धारक के कार्यालय में खाता रखा जाएगा और रजिस्टर बनाए जाएंगे।

iv. इस अधिनियम के तहत लगाए गए शुल्क का आकलन और संग्रह;

v. उपकर के भुगतान के लिए रसीद का स्वरूप; और

vi. कोई अन्य विषय जो निर्धारित किया जाना चाहिए।

(3) इस धारा के तहत बनाए गए नियम ऐसे अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित सीमा तक दंड का प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्-

i. शुल्क से बचने या बचने की स्थिति में, बची हुई राशि की दोगुनी के बराबर;

इस अधिनियम के तहत बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके, राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष, जब यह सत्र चल रहा हो, कम से कम चौदह दिनों की अवधि के लिए रखे जाएंगे, जिसमें एक दिन शामिल हो सकता है। सत्र या दो क्रमिक सत्रों में और यदि उन सत्रों की समाप्ति से पहल जिनमें वे रखे गए हैं या राज्य विधानमंडल के सदन के तुरंत बाद के सत्र में ऐसे किसी भी नियम में कोई संशोधन करता है या संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, इसके बाद ऐसे नियम केवल ऐसे संशोधित रूप में ही प्रभावी होगें या कोई प्रभाव नहीं डालेंगें, जैसा भी मामला हो, हालांकि, ऐसा काई भी संशोधन या रद्दीकरण उसके तहत पहले की गयी किसी भी चीज की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

12. अन्य कानूनों के तहत धारक की देनदारी प्रभावित नहीं:- इस अधिनियम में शामिल कुछ भी, इस अधिनियम के तहत उपकर के भुगतान के लिए धारक की देनदारी को उस समय लागू किसी भी अन्य कानून के तहत प्रभावित नहीं करेगा।

13. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई :– ऐसे प्राधिकारी या सरकार या ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत सद्भावपूर्वक किए गए या कथित रूप से किये जाने वाले या किये जाने वाले किसी कार्य के संबंध में निर्धारित प्राधिकारियों या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई मुकदमा या अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं होगी।

14. न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्जन—

किसी भी न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को छोड़कर) के पास राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति के अनुश्रण में किए गए किसी भी कार्य, की गयी कार्रवाई, किये गये आदेश, निर्देश या इसके कार्यों के संबंध में निर्देश या जारी किए गए दिशा–निर्देशों के संबंध में किसी भी मुकदमें या कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

15. कठनिाइयों को दूर करने/निर्देश जारी करने की शक्ति:—

यदि इस अधनियिम के किसी भी प्रावधान को लागू करने में कोई कठनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, कठिनाई को दूर करने के उद्धेश्य से इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत कुछ भी कर सकती है और आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है। बशर्ते, ऐसी कठिनाई को दूर करने का कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारिख से दो वर्षो की अवधि समाप्ति के बाद नहीं किय जाएगा।

## अनुसूची

देखे [(धारा–2 की उपधारा–3(1)]

| क्रम सं० | खनिज धारित भूमि का प्रकार | सेस की दर |
|---|---|---|
| 1 | कोयला धारित भूमि | प्रति मीट्रिक टन कोयले के प्रेषण के लिए रु 100/- |
| 2 | लौह अयस्क धारित भूमि | प्रति मीट्रिक टन लौह अयस्क के प्रेषण के लिए रु० 100/- |
| 3 | बॉक्साइट धारित भूमि | प्रति मीट्रिक टन बॉक्साइट के प्रेषण के लिए रु० 70/- |
| 4 | चूनापत्थर धारित भूमि | प्रति मीट्रिक टन चूनापत्थर के प्रेषण के लिए रु० 50/- |
| 5 | मैंगनीज अयस्क धारित भूमि | प्रति मीट्रिक टन मैंगनीज अयस्क के प्रेषण के लिए रु० 50/- |
| 6 | कोई अन्य खनिज धारित भूमि | प्रति टन खनिज के प्रेषण पर दी गई रॉयल्टी का 50% |

1. 'खनिजो का नाम, जैसा कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (केन्द्रीय अधिनियम 67 of 1957) के अनुसूची–II के तहत विनिर्दिष्ट है (वृहत खनिज)।
2. सेस की दर उनके ग्रेड गुणों से निरपेक्ष हैं।

## उद्धेश्य एवं हेतु

खनिज धारित भूमि से खनिज के उत्खन्न पर जनित रॉयल्टी पर उपकर लगाने हेतु एक अधिनियम जिससे प्राप्त होने वाले निधि से झारखण्ड राज्य में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा सेवाएँ, कृषि, ग्रामीण आधारभूत संरचना, पेयजल एवं स्वच्छता तथा अन्य आवश्यक उद्धेश्यों की पूर्ति हेतु आर्थिक शक्ति प्राप्त होगी। इससे राज्य को इन कार्यों के निष्पादन में सहयोग प्राप्त होगा।

इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह विधेयक प्रस्तावित है।

(हेमन्त सोरेन)
भार–साधक सदस्य

झा०रा०मु०राँची (विधि) 5(A)--200--31-7-2024